प्रकरण संख्या 16/2020 केवाराम बनाम मंदिर मूर्ति खाखलदेव जी बोरिया

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बोरिया में वादी श्री खाखलदेव जी का देवरा आराजी नंबर 86 में है, जिसका क्षेत्रफल 3 बिस्वा है। इस देवरे की डोली की भूमि आराजी नंबर 85 रकबा 10 बिस्वा है। संवत 2012 खतौनी बन्दोबस्त में खाता संख्या 19 आराजी नंबर 85 किस्म डोली क्षेत्रफल 10 बिस्वा खातेदार श्री खाखलदेव जी स्थान देह मा., कृषक हरजी, कसना, माना, काना पिता खेमा डांगी सा. देह, देवा वल्द भीमा मीणा सा. रावतपुरा पुजारी तथा विशेष विवरण में माफी पूजनार्थ अंकित है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 में उनके वारिसान का नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि में से श्री खाखलदेव के नाम का अंकन गलत रूप से हटाकर कना, लखा, वेलू, रती पिता पेमा डांगी का नाम अंकित किया है, जबकि इस नाम वल्दियत के व्यक्ति गांव बोरिया में नहीं हैं। बोरिया गांव में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम वल्दियत के व्यक्ति हैं, जिन्होंने वादग्रस्त भूमि को अपनी भूमि में मिलाने की बदनियती से धमकियां दी, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी श्री मंदिर मूर्ति खाखलेदव जी को वादग्रस्त आराजी नंबर 85 रकबा 10 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के सहमति के आधार पर दिनांक 08.07.2015 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिसे पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु अपीलान्ट केवाराम द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 17.08.2020 से खारिज कर [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 17.08.2020 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 16.10.2020 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 5 की ओर से वकील श्री अभिमन्यु जाट उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 से 9 की ओर से वकील श्री ललित पटेल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जिसकी सूचना अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आदेश 9 नियम 13 के प्रार्थना पत्र में भी दी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उसे भी नजर अंदाज कर प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने में गम्भीर त्रुटि कारित की है। अधिनस्थ न्यायालय ने जिन प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की थी, उन्हें आगामी पेशी पर पूर्व आदेश अपास्त किये बगैर उपस्थिति दर्शाकर बाद डिक्री करने में सहमति होना दर्शा निर्णय पारित कर नियमों एवं प्रक्रिया की गम्भीर अवहेलना की है। राजस्व लोक अदालत में सभी पक्षकारों की सहमति से निर्णय पारित किया जाता है, किसी भी एक पक्षकार के असहमत होने पर उसे लोक अदालत में निस्तारित करने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं है। प्रश्नगत आदेश जो दिनांक 08.07.2015 को मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है, जिसकी जानकारी होते ही अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में चाराजोही की, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उसे भी निरस्त कर दिया, जो विधिक दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व दिनांक 17.08.2020 निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested

के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2015 को वाद डिक्री कर दिया, जबकि अपीलान्ट के पिता रूपा की मृत्यु दिनांक 17.05.2015 को हो चुकी थी, जो उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रूपा के मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है। अर्थात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री जारी की गयी है, जिसे विधिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. स्वीकार कर पुनः वाद को नम्बर पर लेकर मृतक रूपा के वारिसान को सुनकर निर्णय पारित करना चाहिए था, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.08.2020 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.10.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:35:39 IST
Reason: SelfAttested

(अनिता मीना)
सम्बन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्रकरण संख्या 16 / 2020 केवाराम बनाम मंदिर मूर्ति खाखलदेव जी बोरिया

	उदयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:55:39 IST
Reason: SelfAttested